न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 9/2019 वाद
जीसीएमएस नम्बर 2019/00013

ख्यालीलाल पिता वरदाजी जाति डांगी उम्र 45 वर्ष निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. सीताराम पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. मोहनलाल पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. पोखर पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. राजीबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. गीताबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. मन्जूबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. भूमिधारी अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी – अधिवक्ता वादी

::निर्णय:: दिनांक 02.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बडौलीमाधोसिंह में वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] उक्त खातेदारी की आराजियात जिसके खसरा नम्बर 1 क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर लगानी [illegible].92 [illegible] खसरा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.1400 हेक्टेयर लगानी 5.88 रुपये, खसरा नम्बर 360 क्षे[illegible] 0.0800 हेक्टेयर लगानी 3.36 रुपये, खसरा नम्बर 418 क्षेत्रफल 0.1[illegible] हेक्टेयर लगानी 2.5[illegible] रुपये, खसरा नम्बर 59[illegible] [illegible] 0.3900 हेक्टेयर लगानी 7.41 रुपये, खसरा नम्बर 606 क्षे[illegible]ल 0.2600 हेक्टेयर, लग[illegible]4 रुपये कुल किता– 6 रकबा 1.65 हेक्टेयर लगानी 37.06 रुपये होकर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता आपस में भाई थे और एक ही दादाजी की सन्तानें है और पूर्व में 1 चरण संख्या में वर्णित आराजियात का बंटवारा नहीं किया जबकि अलग–अलग खेतों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 1 क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर जिसके पडौसियान पूर्व में वण्डर सीमेण्ट, पश्चिम में चतरा, शम्भू व रसुलपुर की सरहद, उत्तर में जगन्नाथ जी की आराजियात व दक्षिण में हेमराज व मांगीलाल की आराजियात के बीच एवं खसरा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.1400 हेक्टेयर जिसके पडौसियान पूर्व में लच्छीरामजी की आराजियात, पश्चिम में सरकारी नाला, उत्तर में परथू की आराजियात व दक्षिण में वजेरामजी की आराजियात के बीच स्थित आराजियात के दोनों ही खसरे वादी के कब्जे में होकर वादी के पिताजी और दादाजी के जमाने से ही उक्त दोनों ही आराजियात पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। शेष आराजियात नं. 360 क्षेत्रफल 0.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 418 क्षेत्रफल 0.1000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 599 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606 क्षेत्रफल 0.2600 हेक्टेयर ये चारों आराजियात प्रतिवादीगणों के कब्जे में होकर काश्त करते चले आ रहे है। बटवारा नहीं होने से सभी आराजियात में संयुक्त रुप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1 व 359 वादी के नाम कब्जे अनुसार अलग बटवारा कर लगान व आराजियात की फन्टयानी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में की जावे। शेष नम्बर प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। दोनों का अलग–अलग बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई जावे और दखलन्दाजी ना स्वयं करें ना किसी अन्य द्वारा करावें इस स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अभी दिनांक 01/01/2019 को प्रतिवादीगण को मौके पर मुझ वादी ने अलग बटवारा करने की कहा तो इन्कार कर दिया और गाली गलौच करने लगे तब मुझ वादी को मजबूरन ये वाद पेश करना पड रहा है।

3. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजूद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादी अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

4. बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद वाद वादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार दिनांक 24.05.2023 को प्राथमिक डिक्री गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया कि वाके मौजा सांगरिया पटवार हल्का बडौलीमाधोसिंह में वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी की आराजियात जिसके खसरा नम्बर 1 क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर लगानी 12.92 रुपये, खसरा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर लगानी 5.88 रुपये, खसरा नम्बर 360 क्षेत्रफल 0.08 हेक्टेयर लगानी 3.36 रुपये, खसरा नं. 418 क्षेत्रफल 0. 10 हेक्टेयर लगानी 2.55 रुपये, खसरा नम्बर 599 क्षेत्रफल 0.3900 हेक्टेयर लगानी 7.41 रुपये, खसरा नम्बर 606 क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर, लगानी 4.94 रुपये कुल किता 6 रकबा 1.65 हेक्टेयर लगानी 37.06 रुपये होकर स्थित है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके कब्जे को प्राथमिकता देते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे । तहसीलदार निम्बाहेडा को प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2023/989 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

1.– श्री ख्यालीलाल पुत्र वरदा जाति डांगी सा0 देह खातेदार ।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
1	0.68	12.92
418	0.10	2.55
किता–2	कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर	15.47 रूपये

2.– गीता पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, पोखर पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6, मन्जु पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, मोहनलाल पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6, राजी पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6 जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
359	0.14	5.88
360	0.08	3.36
599	0.39	7.41
606	0.26	4.94
किता–4	कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर	21.59 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 9/2019 वाद
जीसीएमएस नम्बर 2019/00013

ख्यालीलाल पिता वरदाजी जाति डांगी उम्र 45 वर्ष निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

बनाम

1. सीताराम पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. मोहनलाल पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. पोखर पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. राजीबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. गीताबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. मन्जूबाई पिता भगवाना जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. भूमिधारी अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावल आज वादी की और से अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह सोलंकी की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 24.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया कि वाके मौजा सांगरिया पटवार हल्का कड़ौलीमाधोसिंह में वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी की आराजि[illegible] के खसरा नम्बर 1 क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर लगानी 12.92 रुपये, खसरा नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर लगानी 5.88 रुपये, खसरा नम्बर 360 क्षेत्रफल 0.08 हेक्टेयर लगानी 3.36 रुपये, खसरा नम्बर 418 क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर लगानी 2.55 रुपये, खसरा नम्बर 599 क्षेत्रफल 0.3900 हेक्टेयर लगानी 7.41 रुपये, खसरा नम्बर 606 क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर, लगानी 4.94 रुपये कुल किता 6 रकबा 1.65 हेक्टेयर लगानी 37.06 रुपये होकर रिथत है। वादग्रस्त आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके कब्जे को प्राथमिकता देते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा को प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/989 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव माफिक आदेशानुसार होने से स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री ख्यालीलाल पुत्र वरदा जाति डांगी सा0 देह खातेदार ।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
1	0.68	12.92
418	0.10	2.55
किता–2	**कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर**	**15.47 रूपये**

2.– गीता पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, पोखर पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6, मन्जु पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, मोहनलाल पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6, राजी पुत्री भगवाना हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/6 जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
359	0.14	5.88
360	0.08	3.36
599	0.39	7.41
606	0.26	4.94
किता–4	**कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर**	**21.59 रूपये**

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 02.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा